भारत को अप्रचलित प्रौद्योगिकी का अंतरण

2338. **श्री नरेन्द्र मोहनः** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विदेशी अथवा बहुराष्ट्रिक कंपनियों द्वारा भारत को पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी दिए जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है अथवा उसने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत को कोई भी पुरानी अथवा अविकसित अथवा अप्रचलित प्रौद्योगिकी न दिए जा सकने को सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी व्यवस्था है; और

(ग) क्या भारत के किसी भी प्रधान मंत्री ने पाश्चात्य देशों द्वारा भारत को अप्रचलित और खराब प्रौद्योगिकी दिए जाने के संबंध में आशंका व्यक्त की थी?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) भारतीय उद्योग में प्रौद्योगिकीय गतिशीलता का अपेक्षित स्तर लाने के उद्देश्य से सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों से संबंधित प्रौद्योगिकीय करारों को स्वतः अनुमोदन प्रदान करती है। यदि इस प्रकार के करारों के लिए मुक्त विदेशी विनिमय संबंधी व्यय की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो इस प्रकार की सुविधाएं अन्य उद्योगों के लिए भी उपलब्ध हैं। भारतीय कंपनियां अपने वाणिज्यिक निर्णयन के अनुसार अपनी विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी अन्तरण की शर्तें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) जी, नहीं। तथापि, प्रधान मंत्री ने इंडियन साइंस कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का उद्घाटन करते समय वैज्ञानिकों को इस बात को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी अन्तरण इसकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए ही किया जाए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार

2339. **श्री नरेन्द्र मोहनः** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई नए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे कोई निर्देश जारी किए हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्चाधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय भ्रष्टाचार के मामलों में जांच आरंभ करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) समय-समय पर यथासंशोधित एकल दिशा निर्देश में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार में निर्णयन स्तर के अधिकारी (संयुक्त सचिव अथवा उसके तुल्य या उससे ऊपर) अथवा ऐसे अधिकारी जो सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं या रहे हैं; सरकारी उपक्रमों के निदेशक मण्डल स्तर के अधिकारी; रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के हैं; भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक या उससे ऊपर के अधिकारी तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक तथा ऐसे बैंक अधिकारी जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल स्तर से एक स्तर नीचे हैं; के सम्बन्ध में उनकी तलाशी सहित एस०पी०ई०/सी०बी०आई० द्वारा किसी अन्य जांच के लिए सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के सचिव की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। यह प्रावधान एकल दिशानिर्देश में यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि निर्णयन स्तर के ईमानदार अधिकारी को अनावश्यक जांच से संरक्षण दिया जाए जबकि भ्रष्ट व दोषी को दण्डित किया जाए।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का चयन

2340. **श्री मूल चन्द मीणाः**
श्री अजीत जोगीः

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसी राज्य में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को चुनने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) इन जिलों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) इन जिलों के नाम क्या हैं और मध्य प्रदेश में किन-किन जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किए जाने का विचार है; और

(घ) पहले ही औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित किए जा चुके जिलों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) कर रियायतें प्रदान करने के उद्देश्य हेतु औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को वर्गीकृत करने और पहचान करने के लिए वित्त मंत्रालय में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। पूर्व अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा

दूसरे समीक्षा अध्ययन दल की स्थापना की गई थी। समीक्षा अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों/तालुकों को अधिसूचित करने के लिए सरकार के विचाराधीन है।

Economic assistance for industrial development

2341. SHRI RAM NATH KOVIND: DR. RANBIR SINGH:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to provide special economic assistance to some States and Union Territories for industrial development of some districts of such States and Union Territories;

(b) if so, details thereof;

(c) whether Government have taken any action on these requests;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (e) At present an exercise to identify backward areas is on hand in the Ministry of Finance.

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय नवीकरण कोष

2342. **डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय नवीकरण कोष में व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान आंध्र प्रदेश में निष्पादित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अंतर्गत आबंटित राशि का उन कार्यक्रमों के साथ ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) 1995-96 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत भुगतान करने और श्रमिकों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नियुक्ति कार्यक्रमों के लिए सहायता दी गई थी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश के उपक्रम सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 209.58 करोड़ रुपये (अनअंकेक्षित अनंतिम) की राशि वितरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को परामर्श देने, पुनःप्रशिक्षित करने और पुनर्नियुक्ति योजनाओं जिनमें आंध्र प्रदेश की योजनाएं भी शामिल है, पर 7.42 करोड़ रुपये खर्च किये थे।

वर्ष 1995-96 में, ऊपर उल्लिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 300.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। राष्ट्रीय नवीकरण कोष से आबंटन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कर्मचारी सहायता केंद्रों आदि के लिए किया जाता है और यह आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को सहायता

2343. **श्री राघवजी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के बंद/रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता दिया जाना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना फरवरी 1992 में की है ताकि भारतीय उद्योग से संबंधित प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनः संरचना से प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान किया जा सके। तथापि, राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता फिलहाल केवल केन्द्र के सार्वजनिक उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और युक्तियुक्त श्रमिकों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियुक्ति संबंधी योजनाओं तक ही सीमित है।

Census of SSIs

2344. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) when was the last census of small scale industries in the country was held and when new census would be completed;